

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

PMJJBY - कम पैसे में जीवन बीमा लेने और उसे हर साल चालू रखने की आसान जानकारी

18 से 50 साल की उम्र में जुड़ें

यदि आपकी उम्र 18 से 50 साल है और आपका बैंक या डाकघर में खाता है, तो आप इस योजना में जुड़ सकते हैं।

मृत्यु होने पर रु. 2 लाख

बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर सही नॉमिनी को रु. 2 लाख की बीमा राशि मिल सकती है।

मौजूदा सालाना प्रीमियम रु. 436

पूरे साल के लिए मौजूदा प्रीमियम रु. 436 है। सरकार या बीमा कंपनी भविष्य में यह राशि बदल सकती है।

पैसा खाते से अपने-आप कटता है

आपकी सहमति देने के बाद प्रीमियम चुने गए बैंक या डाकघर खाते से ऑटो-डेबिट से कटता है।

बहुत जरूरी बात: यह बचत योजना नहीं है। यह केवल जीवन बीमा है। यदि बीमित व्यक्ति जीवित रहता है, तो योजना से कोई पैसा वापस नहीं मिलता।

1. कौन इस योजना में जुड़ सकता है?

- ☐ आपकी उम्र पहली बार जुड़ते समय 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए।
- ☐ यदि आपके कई खाते हैं, तब भी यह योजना केवल एक खाते से लें।
- ☐ खाते से मोबाइल नंबर जुड़ा होना मददगार है, ताकि कटौती का SMS मिल सके।
- ☐ आपके नाम से बैंक या डाकघर में चालू खाता होना चाहिए।
- ☐ योजना में जुड़ते समय नॉमिनी का नाम और जानकारी सही लिखवाएँ।
- ☐ प्रीमियम कटने के समय खाते में पर्याप्त पैसा होना चाहिए।

आप 50 साल की उम्र तक योजना में पहली बार जुड़ सकते हैं। यदि योजना हर साल चालू रखी जाती है, तो बीमा सुरक्षा 55 साल की उम्र तक जारी रह सकती है।

2. योजना में कैसे जुड़ें?

1

अपने बैंक या डाकघर में जाकर कहें कि आप PMJJBY जीवन बीमा योजना में जुड़ना चाहते हैं।

2

आवेदन फॉर्म भरें और खाते से प्रीमियम काटने की साफ सहमति दें।

3

नॉमिनी का पूरा नाम, रिश्ता और बैंक से जुड़ी जानकारी ध्यान से भरें।

4

प्रीमियम कटने के बाद SMS, पासबुक, बैंक स्टेटमेंट या रसीद का प्रमाण सुरक्षित रखें।

यदि आप साल के बीच में जुड़ते हैं: पहली बार कम प्रीमियम कट सकता है। अगले साल योजना चालू रखने पर पूरा मौजूदा सालाना प्रीमियम लगेगा। सही राशि अपने बैंक या डाकघर से पूछें।

हर साल क्या जाँचें और मृत्यु के बाद दावा कैसे करें?

3. हर साल ये पाँच बातें जरूर जाँचें

- ☐ जिस बैंक या डाकघर खाते से योजना ली है, वह खाता चालू होना चाहिए।
- ☐ प्रीमियम कटने से पहले खाते में पर्याप्त पैसा रखना चाहिए।
- ☐ सिर्फ SMS पर भरोसा न करें। पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में देखकर पुष्टि करें कि प्रीमियम सच में कटा है।
- ☐ नॉमिनी का नाम, रिश्ता और बैंक की जानकारी सही है या नहीं, यह जाँच लें।
- ☐ SMS, पासबुक, बैंक स्टेटमेंट या बीमा का कोई प्रमाण सुरक्षित रखें।

योजना की सामान्य बीमा अवधि 1 जून से 31 मई तक होती है। प्रीमियम नहीं कटने या चुना हुआ खाता बंद होने पर बीमा रुक सकता है।

पहले 30 दिन का नियम: पहली बार या दोबारा योजना में जुड़ने के बाद पहले 30 दिनों में सामान्य कारण से मृत्यु होने पर दावा नहीं मिलता। दुर्घटना से मृत्यु होने पर यह रोक लागू नहीं होती।

नॉमिनी क्यों जरूरी है? बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद दावा वही व्यक्ति आसानी से कर सकता है जिसका नाम नॉमिनी के रूप में सही दर्ज है।

यह अलग योजना है: PMJJBY जीवन बीमा है। PMSBY दुर्घटना बीमा की अलग योजना है। दोनों को एक ही योजना न समझें।

4. बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार क्या करे?

1

नॉमिनी जल्द से जल्द उसी बैंक या डाकघर से संपर्क करे, जिस खाते से प्रीमियम काटा गया था।

2

बैंक, डाकघर या सरकारी वेबसाइट से PMJJBY का सही दावा फॉर्म लें।

3

मृत्यु प्रमाण-पत्र, नॉमिनी की पहचान, बैंक खाते का प्रमाण और माँगे गए दूसरे कागज तैयार रखें।

4

पूरा फॉर्म जमा करें और जमा करने की रसीद या लिखित प्रमाण अपने पास रखें।

बैंक या बीमा कंपनी मामले के अनुसार दूसरे कागज भी माँग सकती है। माँगे गए कागजों की सूची बैंक से लिखकर ले लें।

गलती से बचें: एक से ज्यादा खातों से योजना न लें। नॉमिनी खाली न छोड़ें। केवल SMS देखकर योजना चालू मानने के बजाय पासबुक या बैंक से प्रीमियम कटने की पुष्टि करें।



हिंदी आवेदन और दावा फॉर्म खोलें

QR कोड स्कैन करके सरकारी जन सुरक्षा पेज से हिंदी फॉर्म लें।

jansuraksha.gov.in/hi-FORMS-PMJJBY.aspx



सरकारी योजना की पूरी जानकारी पढ़ें

QR कोड स्कैन करके वित्तीय सेवाएँ विभाग की PMJJBY जानकारी देखें।

financialservices.gov.in/pmjjby

PMJJBY के सरकारी फॉर्म या सामान्य जानकारी के लिए जन सुरक्षा के राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं।

1800-180-1111 / 1800-110-001

तैयार एवं प्रकाशित: फुला देवी मेमोरियल सेवा संस्थान | निबंधन: S000380 (अधिनियम 21, 1860) | पंजीकरण: 27 फरवरी 2022

पता: सरस्वती विहार कॉलोनी, साईचक, पोस्ट एवं थाना बेजर, पटना - 800002, बिहार | वेबसाइट: fuladevi.org

यह गाइड संस्था के 2024 के जागरूकता काम के अनुभव के आधार पर तैयार की गई है। तैयार करने की तारीख: 22 जुलाई 2026

जरूरी बात: यह सरकारी कागज नहीं है। नियम बदल सकते हैं। अंतिम जानकारी सरकारी वेबसाइट, हेल्पलाइन, बैंक या मान्य केंद्र से लें।